


भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



दूरभाष/ Telephone : 0612-2565756

फैक्स/ Fax : 0612-2565265

E-mail : bihar.gdc soi@gov.in



निदेशक का कार्यालय
बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र
Office of the Director,
Bihar Geo-spatial Data Centre
सातवीं मंजिल (ब्लॉक 'ए', 'एफ' एवं 'जी')
कर्पूरी ठाकुर सदन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर
7th Floor (Block 'A', 'F' and 'G')
Karpuri Thakur Sadan, Kendriya Karyalaya Parisar
आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025
Ashiyana-Digha Road, Patna-800025

सं.- 434 /37-जी-6

दिनांक: 18 मई, 2018

बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं.- 03 /37-जी-6, दिनांक 18 /05/2018

1. पदोन्नति:-

भारत के महासर्वेक्षक के आदेशानुसार निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए विवरणानुसार सहायक के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं.	नाम	जिस पद पर पहले कार्यरत थे	जिस नए पद पर पदोन्नति दी गई	पदोन्नति की तारीख	टिप्पणी
1.	Shri Amrit Raj	प्र.श्रे.लि.	सहायक	01.05.2018 (पूर्वाह्न)	-
2.	Shri Ravindra Kumar	प्र.श्रे.लि.	सहायक	03.05.2018 (पूर्वाह्न)	-

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं.सी-2673/1354(सहायक/एच.सी.), दिनांक 27 अप्रैल, 2018

उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर. 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/ अनुशासनात्मक या दंड प्रक्रिया संबंधी मामला हो तब उपरोक्त पदोन्नति अमान्य होगी।

उपरोक्त पर होने वाला अतिरिक्त व्यय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र के वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा।

2. रोकडिया को नकदी संभालने का भत्ता (CASH HANDLING ALLOWANCE TO CASHIER)

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14/3/78-एस.एम.पी.-1, दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, नई दिल्ली (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय के ज्ञापन संख्या 4/6/2008-स्था.(पे-2) दिनांक 01.10.2008 के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विवरणानुसार रोकडिया का कार्य करने के लिए नकदी वितरण भत्ता स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	अवधि	भत्ते की राशि	भुगतान की गई औसत राशि
1.	श्री मो. शब्बर अली तैयब, प्र.श्रे.लि.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	रु. 700/-प्रति माह	रु.1,53,000/-

कृ.पू.उ.

उपरोक्त पर होने वाला अतिरिक्त व्यय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र के वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा।

3. स्थानान्तरण एवं तैनाती:-

(1) भारत के महासर्वेक्षक के आदेशानुसार निम्नलिखित कर्मचारी का स्थानान्तरण एवं तैनाती उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार किया गया है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय से	कार्यालय को	कार्यग्रहण की तिथि
1.	Shri Murli Pathak, Surveyor	हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चण्डीगढ़	बिहार जी.डी.सी., पटना	27.04.2018 (पूर्वा.)

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं. स्था.1-2472/1466-सर्वेक्षक, दिनांक 16.04.2018

(2) भारत के महासर्वेक्षक के आदेशानुसार निम्नलिखित अधिकारी का स्थानान्तरण एवं तैनाती उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार किया गया है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय से	कार्यालय को	स्थानान्तरण की तिथि
1.	Shri P V Rajasekhar, Director	बिहार जी.डी.सी., पटना	केरल एवं लक्षद्वीप जी.डी.सी., तिरुवनंतपुरम	03.04.2018 (पूर्वा.)

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं. C-1163/701-Director, dated 01.03.2018

4. देहान्त:-

1. इस कार्यालय के श्री मो. मोदीन, जमादार का दिनांक 18.02.2018 को स्वर्गवास हो गया।
2. इस कार्यालय के श्री चन्द्र प्रकाश, खलासी का दिनांक 30.01.2018 को स्वर्गवास हो गया।

Allu Kumar
(आलोक कुमार)
उप अधीक्षक सर्वेक्षक
निदेशक (सामयिक प्रभार)
बिहार जी.डी.सी.

वितरण: (via e-mail)

1. भारत के महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक- पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता/ उत्तर पूर्वी क्षेत्र, शिलाँग/ मध्य क्षेत्र, जबलपुर/ पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/ उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़/ दक्षिणी क्षेत्र, बंगलोर/ स्पेशलाईज्ड सर्विस जोन, देहरादून/ भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद/ प्रिंटिंग जोन, हैदराबाद।
3. निदेशक- पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता/ पश्चिमी मुद्रण वर्ग, नई दिल्ली/ उत्तरी मुद्रण वर्ग, देहरादून/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद।
4. अपर महासर्वेक्षक/निदेशक- उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./ मध्य प्रदेश जी.डी.सी./ राजस्थान जी.डी.सी./ महाराष्ट्र जी.डी.सी./ आन्ध्र प्रदेश जी.डी.सी./ हरियाणा जी.डी.सी./ उत्तरांचल जी.डी.सी./ पंजाब एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी./ हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी./ जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी./ झारखंड जी.डी.सी./ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी./ उड़ीसा जी.डी.सी./ छत्तीसगढ़ जी.डी.सी./ गुजरात एवं दमन एवं दीव जी.डी.सी./ तमिलनाडु, पण्डीचेरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी./ कर्नाटक जी.डी.सी./ सर्वेक्षण (हवाई) एवं नई दिल्ली जी.डी.सी./ असम एवं नागालैण्ड जी.डी.सी./ त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम जी.डी.सी./ केरल एवं लक्षद्वीप जी.डी.सी./ मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी.
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता।
6. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को ई-मेल (sgo.admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
7. अनुभाग प्रभारी, पत्राचार अनुभाग(वि.भू.ऑ.के.)/लेखा अनुभाग (वि.भू.ऑ.के.)/गोपनीय अनुभाग(वि.भू.ऑ.के.)।
8. गार्ड फाईल।